राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर
एल ब्लाक, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अतारांकित प्रश्न संख्या : 95

दिनांक : 27.02.2019

प्रश्न कर्ता का नाम : श्री पंकज पुष्कर

क्या उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि आबकारी विभाग की नीति के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों एवं धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में कोई शराब की दुकान नहीं होगी;	दूरी के बावत शराब की दुकानें नियम 51 (1), दिल्ली आबकारी नियम,2010 के अन्तर्गत खोली जाती है। नियम 51, लाइसेंसीकृत परिसरों से सम्बद्ध शर्ते (1) भारतीय शराब, विदेशी शराब या देसी शराब की कोई खुदरा दुकान निम्नांकित के एक सौ मीटर के दायरे में नहीं होगी:– (क) प्रमुख शैक्षिक संस्थान, (ख) धार्मिक स्थल (ग) 50 और उससे अधिक बिस्तर वाले अस्पताल : परन्तु, खंड (ग) में वर्णित शर्त परिसर 'पर' शराब के सेवन संबंधी खुदरा दुकान पर लागू नहीं होगी : परन्तु, यह और भी कि सौ मीटर की शर्त उन लाइसेंसों पर लागू होगी जो इन नियमों के प्रवृत होने के बाद प्रदान किए जायेगे: परन्तु, अगर कोई प्रमुख शैक्षिक संस्थान, धार्मिक स्थल अथवा 50 या इससे अधिक बिस्तर वाला अस्पताल भारतीय शराब, विदेशी शराब या देसी शराब की खुदरा दुकान की स्थापना के बाद अस्तित्व में आयेगा, तो उपरोक्त दूरी संबंधी प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। स्पष्टीकरण 1 : उपरोक्त खंड (क) के प्रयोजन के लिए प्रमुख शैक्षिक संस्थानों से अभिप्राय: है मिडॅल और हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थान। स्पष्टीकरण 2 : उपरोक्त खंड (ख) के प्रयोजन के लिए, एक धार्मिक स्थान से निहितार्थ है 400 वर्ग फुट

Commissioner, Excise, Entt. & Luxury Tax, Vikas Bhawan, New Delhi-2
सत्यमेव जयते

		से अधिक आच्छादित क्षेत्र वाला पक्का ढांचा। स्पष्टीकरण 3 : दूरी के नाम का अर्थ है लाइसेंस के लिए प्रस्तावित परिसर के वास्तविक मुख्य द्वार/प्रवेश मार्ग के माध्य बिन्दु तक की पारणीय दूरी।
ख)	यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि सर्वोद्य कन्या विद्यालय मलका गंज से कुछ दूरी पर लक्ष्मी नारायण मंदिर के समीप शराब के दुकानें चल रही हैं;	जी हाँ । दुकान नंबर-16 मलकागंज में स्तिथ शराब की दुकान दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009, दिल्ली आबकारी नियम, 2010, तथा नियम एवं शर्तों के अनुसार चालू है ।
ग)	इन दुकानों की अनुमति कब और किस आधार पर दी गई; और	उस दुकान का स्थानांतरण उपरोक्त स्थल पर दिल्ली शराब लाइसेंस नियम, 1976 के अंतर्गत 2005 में किया गया ।
घ)	शराब की दुकान का लाइसेंस देने हेतु प्राथमिक विद्यालय को सरकार के स्कूल न मानने के क्या कारण है?	दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009, दिल्ली आबकारी नियम 2010, में वर्णित नहीं है ।

रवि धवन

(रवि धवन)

(आबकारी आयुक्त)

Commissioner, Excise, Entt. & Luxury Tax
Vikas Bhawan, New Delhi-2
सत्यमेव जयते